



2026: AHC : 39882-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 29988, वर्ष 2025

शंभूनाथ मिश्रायाचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्यप्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अश्विनी कुमार ओझा, सुमित मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुमित मिश्रा ने न्यायालय के समक्ष यह बयान दिया है कि एकमात्र याचिकाकर्ता का पहले ही 26.12.2025 को निधन हो चुका है, अतः वर्तमान याचिका निष्प्रभावी हो गई है।
3. राज्य के विद्वान ए.जी.ए. उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।
4. उपरोक्त के आलोक में, तत्काल रिट याचिका निष्प्रभावी हो जाने के कारण खारिज की जाती है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



23 फरवरी, 2026 के.यू.

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।